

## छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिग रोड कं.-1, तेलीबांधा, रायपुर-492006(छत्तीसगढ़)

दूरभाष : (0771) 4224600, 611, 622 फैक्स : (0771) 4066425, कॉल सेंटर 1-800-102-6415 (टोल फ्री) ई-मेल : [visitcg@gmail.com](mailto:visitcg@gmail.com) वेब-साइट [www.tourism.cg.gov.in](http://www.tourism.cg.gov.in)

क्रमांक / III / चालन / पर्य.मं. / 2019

रायपुर, दिनांक / 01 / 2019

// आदेश //

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा पूर्व में प्रसारित आदेशों को अधिकमित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित इकाईयों के नवीन CP/AP/MAP प्लान अनुसार विभिन्न श्रेणियों में प्रचलित रियायत दरों में निम्नानुसार सशोधन किया जाता है :-

क्रं.	छूट का विवरण	वर्तमान में प्रचलित कक्ष किराया में छूट	पुनरीक्षित कक्ष किराया में छूट
1	वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष एवं उससे अधिक) को आवास कक्ष किराया में छूट।	30%	सभी श्रेणी में 30%
2	छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार (परिवार का तात्पर्य- कर्मचारी की पत्नी, संतान, वृद्ध माता-पिता एवं आश्रित भाई बहन से है) को विविध मांगलिक कार्यों इत्यादि प्रयोजन हेतु कक्षों एवं इकाई परिसर (Lawn) के उपयोग हेतु छूट।	50%	सभी श्रेणी में 50%
3	छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार/समस्त राज्य सरकार तथा केन्द्र/राज्य शासन के समस्त उपक्रमों के अतिथियों/कर्मचारियों/अधिकारियों को भी शासकीय प्रवास के दौरान आवासीय दरों में छूट।	50%	EP - 50% CP - 40% MAP - 30% AP - 20%
4	छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा स्कूल एवं कॉलेज छात्र-छात्राओं के कक्ष आरक्षण हेतु आवासीय किराया दरों में दी जाने वाली छूट।	50%	सभी श्रेणी में 50%
5	छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा स्कूल एवं कॉलेज छात्र-छात्राओं के शाकाहारी भोजन प्रति छात्र, प्रतिदिन (सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि भोजन) की दर राशि रुपये 300.00 होगी।	कोई छूट नहीं दी जावेगी।	कक्ष आरक्षण में सभी श्रेणी में 50% तथा शाकाहारी भोजन रु. 300.00 प्रतिदिन प्रति छात्र-छात्रायें
6	इकाई के सम्पूर्ण कक्ष आरक्षित किये जाने पर कक्ष कराये दर पर दी जाने वाली छूट।	30%	सभी श्रेणी में 20%
7	जनप्रतिनिधि (माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, समस्त निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व उपाध्यक्ष को केवल स्वयं द्वारा उपभोग करने पर केवल कक्ष आरक्षण कराये जाने पर कक्ष किराया दरों पर दी जाने वाली छूट।	50%	सभी श्रेणी में 50%
8	किसी भी कंपनी/संस्था/व्यक्तियों द्वारा 05 कक्ष या उससे अधिक आरक्षण कराये जाने पर कक्ष किराया में दी जाने वाली छूट।	20%	CP - 20% MAP - 15% AP - 10%
9	इकाईयों के आरक्षण हेतु प्रमुख चालन शाखा द्वारा आवश्यकतानुसार दी जाने वाली छूट।	10%	सभी श्रेणी में 10% (न्यूनतम 02 कक्ष आरक्षण कराये जाने पर)
10	कार्पोरेट सेक्टर को कक्ष आरक्षण के विरुद्ध केवल मुख्यालय स्तर पर दी जाने वाली छूट।	25%	सभी श्रेणी में 20% (05 कक्ष या उससे अधिक आरक्षण कराये जाने पर)
11	निःशक्तजनो के द्वारा निःशक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनको एवं उनके सहयोगी (Attendant) को एक कक्ष पर दी जाने वाली छूट।	30%	सभी श्रेणी में 30%
12	पर्यटकों के दोबारा आगमन पर कक्ष आरक्षण में रियायत	20%	सभी श्रेणी में 15% (CTB द्वारा संचालित किसी भी इकाई में)
	पर्यटकों के दो से अधिक बार आगमन पर कक्ष आरक्षण में रियायत	30%	सभी श्रेणी में 20% (CTB द्वारा संचालित किसी भी इकाई में)

निरन्तर .....

पूर्व पृष्ठ से .....

13	YHAI (Youth Hostels Association of India) के सदस्यों को YHAI के अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा स्वयं संचालित समस्त इकाईयों (रेस्ट हाउस/मोटल्स) आदि पर दिये जाने वाली छूट ।	30%	सभी श्रेणी में 20% (CTB द्वारा संचालित किसी भी इकाई में)
14	तृतीय लिंग समुदाय (Third Gender Community) को कक्षा आरक्षण में दी जाने वाली छूट ।	30%	सभी श्रेणी में 30%

उक्त आदेश दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील होगा।

महाप्रबंधक  
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

रायपुर, दिनांक 15/01/2019

क्रमांक 3665 / III / चालन / पर्य.मं. / 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. उपमहाप्रबंधक (वित्त), छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त शाखा प्रमुख ..... छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त प्रभारी ..... होटल/मोटल/पर्यटन सूचना केन्द्रों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. प्रभारी काल सेन्टर, होटल जोहार छत्तीसगढ़ परिसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. श्रीमति सुरभि मिश्रा खरे, प्रमुख, आई.टी./श्री अनुपम यादव, कियेटिव डिजाइनर, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, की ओर अधिकारिक वेब-साईट में ऑन-लाईन आरक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन कार्यवाही करें।

महाप्रबंधक

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल